प्रेस नोट - थाना उघैती दिनांक 29/10/2024

थाना उघैती पुलिस द्वारा जन सेवा केन्द्र संचालक के साथ दो व्यक्तियो द्वारा लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्तो को गिरफ्तार करने के संबंध मे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डा0 बृजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी बिल्सी बदायूँ के नेतृत्व में आज दिनांक 29/10/2024 को अरविन्द कुमार पुत्र सत्यवीर नि0 उघैती शर्की थाना उघैती जिला बदायूँ ग्राम स्वरुपपुर में चौराहे के पास पंजाब नेशनल बैंक की छोटी शाखा (जन सेवा केन्द्र) की दुकान चलाता है जिसमें रुपयो के लेनदेन के साथ साथ बैंक के खाते भी खोले जाते है। आज दि0 28.10.2024 को अरविन्द उपरोक्त ग्राम स्वरुपपुर में अपनी जन सेवा केन्द्र की दुकान पर बैंकिंग सम्बन्धित कार्य कर रहा था कि तभी दो लडके मो0सा0 नं0 UP15S7066 स्पेलन्डर पर समय करीब 12.00 बजे दिन में आये और अरविन्द उपरोक्त से रुपयो का बैग( एक लाख रु0 ) छीनने लगे और एक लडके ने चैन व्हील से दुकानदार के ऊपर जान से मारने की नियत से वार किया तथा दूसरे ने जान से मारने की नियत से तमन्चा तान दिया। शोर शराबे की आवाज पर काफी व्यक्ति एकत्रित हो गये। व्यक्तियो को एकत्रित होता देख दोनो लडके भाग कर गन्ने के खेत में घुस गये। मौके पर मौजूद व्यक्तियो ने गन्ने के खेत को घेर कर एक लडके को पकड लिया जिसका नाम समीर तेली उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रमजानी नि0 मिठामई थाना बिसौली जिला बदायूँ है एवं समीर तेली के पास से एक तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर मिला है। समीर तेली के द्वारा अपने दूसरे साथी का नाम सचिन यादव पुत्र श्योराज यादव नि0 ग्राम स्वरुपपुर थाना उघैती जिला बदायूँ बताया।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में पीडित/वादी अरविन्द कुमार पुत्र सत्यवीर सिंह उपरोक्त की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 254/2024 धारा 309(5)/109 BNS व 3/25(1b)a Arms Act बनाम 1. समीर तेली उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रमजानी नि0 मिठामई थाना बिसौली जिला बदायूँ ( गिरफ्तार ) 2. सचिन यादव पुत्र श्योराज यादव नि0 ग्राम स्वरुपपुर थाना उघैती जिला बदायूँ ( भागा हुआ ) पंजीकृत किया गया है।

आज दि0 29.10.2024 को थाना उघैती पुलिस द्वारा अभियुक्त सचिन यादव पुत्र श्योराज यादव नि0 ग्राम स्वरुपपुर थाना उघैती जिला बदायूँ को घटना में संलिप्त मो0सा0 स्पेलन्डर नं0 UP 15S 7066 रंग काला मय एक चाकू मय एक लोहे के डण्डे मे साइकिल का चैन व्हील के ग्राम स्वरुपपुर के पास बिसौली रोड पर सरकारी ट्यूवेल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अपराधिक इतिहास –

अभियुक्त समीर अली उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 254/2024 धारा 309(5)/109/317(5) BNS व 3/25(1b)a Arms Act

अभियुक्त सचिन यादव उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 254/2024 धारा 309(5)/109/317(5) BNS,
2. मु0अ0सं0 255/2024 धारा 4/25(1b)b Arms Act,